संख्याः 1328 /XVIII(II)/2016–01(48)/2014

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पौड़ी गढवाल।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः13 जनवरी, 2016

विषयः–हिमालयन इंस्ट्टीयूट हॉस्पिटल, देहरादून को ग्राम तोली/मोली, तहसील सतपुली, जिला पौड़ी गढवाल में पॉलिटेक्निक, अस्पताल, विश्वविद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थान की स्थापना हेतु कुल 0.798 है0 भूमि क्रय की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र संख्या–3717/11–रीडर (2014–15) दिनांक–30.04.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, हिमालयन इंस्ट्टीयूट हॉस्पिटल, देहरादून को पॉलिटेक्निक, अस्पताल, विश्वविद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थान की स्थापना हेतु ग्राम तोली/मोली, पट्टी मल्ला बदरपुर, तहसील सतपुली, जिला पौड़ी गढवाल में कुल 0.798 है0 भूमि क्रय की अनुमति, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15–1–2004 की धारा–154(4)(3)(क)(I) एवं (III) के अन्तर्गत आपके उपरोक्त पत्र के द्वारा अनुमोदित/संस्तुत खसरा संख्याओ के अनुसार निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं :–

1– क्रेता धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।

2– क्रेता द्वारा क्रय की गयी भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (पॉलिटेक्निक, अस्पताल, विश्वविद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थान की स्थापना) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गयी है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग, जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होंगे।

3– सार्वजनिक उपयोग की भूमि यथा जंगल, कब्रिस्तान, नदी आदि की भूमियों को चिन्हित/समुचित सीमांकन कर अलग रखा जायेगा व इसका अन्तरण या कब्जा न हो इसे सुनिश्चित कर लिया जाय। केवल संक्रमणीय भूमिधरी (वर्ग–1क) की अविवादित एवं भार रहित भूमि क्रय की अनुमति अनुमन्य होगी।

.....2

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6– जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि भूमि के प्रस्तावित अन्तरण से किसी राजस्व नियमों का उल्लंघन न हो तथा भूमि भारमुक्त एव विवाद रहित हो। भूमि के भारमुक्त होने व विवाद रहित होने पर ही विक्रय अनुमन्य होगा।

7– शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

8– इकाई द्वारा प्रस्तावित भूमि का उपयोग, मात्र पॉलिटेक्निक, अस्पताल, विश्वविद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थान की स्थापना हेतु ही किया जायेगा तथा इससे भिन्न कार्यो हेतु यदि भूमि का उपयोग किया जाता है तो उक्त भूमि राज्य सरकार में निहित कर ली जायेगी एवं संस्था के विरूद्ध विधिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी।

9– किसी भी दशा में प्रस्तावित क्रेताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नही होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो, इसके लिए भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

10– भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नही होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

11– आवेदक द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनिमय, 2011 में उल्लिखित प्राविधानों एवं आवास विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

12– ईकाई द्वारा अपने परिसर तक वन भूमि से गुजरने वाले पहुंच मार्ग का उपयोग आवागमन हेतु उसी दशा में करेंगे जैसे स्थानीय ग्रामवासी करते हैं, अन्य जुड़ी हुई वन भूमि में प्रवेश नहीं करेंगे।

13– इकाई द्वारा मार्ग के वर्तमान स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा।

14– इकाई द्वारा आवागमन के समय वन्य जन्तुओं तथा स्थानीय वनस्पति को हानि नहीं पंहुचायी जायेगी।

15– इकाई द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 तथा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

16– योजना प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियॉ/स्वीकृतियॉ प्राप्त कर ली जायेगी।

.....3

17– आवेदक द्वारा स्थापित किये जाने वाले संस्थानों में उत्तराखण्ड मूल के निवासियों को न्यूनतम 70 प्रतिशत से अधिक को नियमित रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।

18– सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू–उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेंगे।

19– उपरोक्त किसी भी शर्तो/प्रतिबन्धों का उल्लघंन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया इस सम्बन्ध में तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए इस शासनादेश के अनुपालन स्थिति से भी शासन को यथासमय अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

पृ0प0सं0– 1328/XVIII(II)/2016–01(48)/2014/समदिनांकित/2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवशयक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा/प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा/विद्यालयी शिक्षा /चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. डॉ0 विजय धस्माना, सदस्य अध्यक्षीय समिति, हिमालयन इंस्ट्टीयूट हॉस्पिटल ट्रस्ट, स्वामी रामनगर, पी0ओ0–डोईवाला, देहरादून।
5. निदेशक एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
6. प्रभारी, मीडिया केन्द्र उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0पी0 जोशी)
अपर सचिव।